न्यायालय अपर जिला जज,प्रथम,अम्बेडकर नगर।

उपस्थितः— श्री राम विलास सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPAN010054002024

Regular Civil Appeal/46/2024 (C.A.NO-47/2024)

1— राम रतन आयु लगभग 62 वर्ष पुत्र राम सरन
2— ज्ञानमती आयु लगभग 65 वर्ष
3— पुष्पा देवी आयु लगभग 50 वर्ष } पुत्रीगण राम सरन
4— राम करन आयु लगभग 85 वर्ष पुत्र भगौतीदीन
5— हरीराम आयु लगभग 75 वर्ष पुत्र मेवालाल
6— नौराजी आयु लगभग 76 वर्ष पत्नी स्व0 जयराम
7— शम्भूनाथ उर्फ राहुल आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र जयराम
8— रमावती आयु लगभग 46 वर्ष
9— कृष्णावती आयु लगभग 44 वर्ष } पुत्रीगण जयराम
10— पवन कुमार आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र सतीराम
11— प्रर्मिला आयु लगभग 46 वर्ष पुत्री सतीराम
12— सन्तोष कुमार आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र शिवमूरत
13— मिथिलेश कुमारी आयु लगभग 36 वर्ष
14— अखिलेश कुमारी आयु लगभग 34 वर्ष
15— ऊषा आयु लगभग 28 वर्ष
16— दीपा आयु लगभग 26 वर्ष

निवासीगण ग्राम दौलतपुर हजलपट्टी (अमौलिया) परगना व तहसील टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर।

————————————अपीलार्थीगण

बनाम

1— राजेन्द्र प्रसाद आयु लगभग 56 वर्ष
2— विनोद कुमार आयु लगभग 50 वर्ष } पुत्रगण राममूरत
3— दिलीप कुमार आयु लगभग 46 वर्ष
4— सुदामा देवी आयु लगभग 80 वर्ष पत्नी स्व0 राममूरत
5— मयाराम आयु लगभग 42 वर्ष
6— राकेश कुमार आयु लगभग 40 वर्ष
7— सुरेन्द्र कुमार आयु लगभग 37 वर्ष } पुत्रगण कन्हई
8— शिव कुमार आयु लगभग 34 वर्ष
9— रामकुमार आयु लगभग 31 वर्ष
10— मायावती आयु लगभग 48 वर्ष
11— शकुन्तला आयु लगभग 41 वर्ष } पुत्रीगण कन्हई
12— रामचरन आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र बलिराज
13— तारावती आयु लगभग 55 वर्ष पुत्री बलिराज
14— देवी प्रसाद आयु लगभग 64 वर्ष
15— राजितराम आयु लगभग 45 वर्ष } पुत्रगण धर्मराज
16— शारदा देवी आयु लगभग 62 वर्ष

CNR NO- UPAN010054002024
Regular Civil Appeal/46/2024 (C.A.NO-47/2024)

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.31 16:27:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

17— निर्मला देवी आयु लगभग 60 वर्ष
18— ऊषा देवी आयु लगभग 56 वर्ष पुत्रीगण धर्मराज
19— सुशीला देवी आयु लगभग 40 वर्ष
20— रामसिंगर आयु लगभग 72 वर्ष
21— अभिमन्यु आयु लगभग 65 वर्ष पुत्रगण सीताराम
22— अंकुर आयु लगभग 32 वर्ष
23— अमन आयु लगभग 26 वर्ष पुत्रगण ओमप्रकाश
24— नीलम आयु लगभग 28 वर्ष
25— स्नेहलता आयु लगभग 34 वर्ष पुत्रीगण ओमप्रकाश
26— प्रेमा देवी आयु लगभग 60 वर्ष पत्नी स्व0 ओमप्रकाश
27— जयप्रकाश आयु लगभग 48 वर्ष पुत्र राममिलन
28— सरोजा आयु लगभग 52 वर्ष पुत्री राममिलन
29— फूलपत्ती आयु लगभग 75 वर्ष पुत्री सीताराम
30— संजय आयु लगभग 35 वर्ष पुत्र मंशाराम
31— शकुन्तला आयु लगभग वर्ष
32— इसलावती आयु लगभग वर्ष
33— लवलेश आयु लगभग वर्ष पुत्रीगण मंशाराम
34— मिथिलेश आयु लगभग वर्ष
35— विन्दू आयु लगभग वर्ष
36— बाबूराम आयु लगभग 75 वर्ष पुत्र रामदेव
37— सन्दीप आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र रामवृज
38— शैम्पू देवी आयु लगभग 30 वर्ष
39— ज्योति देवी आयु लगभग 28 वर्ष पुत्रीगण रामवृज
40— चन्द्रवती आयु लगभग 65 वर्ष पत्नी स्व0 रामवृज
41— बेइला आयु लगभग 70 वर्ष
42— सुमित्रा आयु लगभग 65 वर्ष पुत्रीगण रामदेव
43— राजेश आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र चन्द्रिका प्रसाद
44— नन्दलाल आयु लगभग 55 वर्ष
45— राजमन आयु लगभग 45 वर्ष पुत्रगण रामदुलार
46— सत्यप्रकाश आयु लगभग 28 वर्ष पुत्र सन्तराम
47— आरती देवी आयु लगभग 32 वर्ष पुत्री सन्तराम
48— रामचेत आयु लगभग वर्ष पुत्र सुखारी
49— महेन्द्र कुमार आयु लगभग 42 वर्ष
50— धर्मेन्द्र कुमार आयु लगभग 34 वर्ष पुत्रगण राम सुन्दर
51— कुमारी देवी आयु लगभग 45 वर्ष
52— श्यामलली आयु लगभग 32 वर्ष पुत्रीगण राम सुन्दर

निवासीगण ग्राम—दौलतपुर हाजलपट्टी (अमौलिया) परगना व तहसील टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर।

.....विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत् धारा—96 दी0प्र0सं0

निर्णय

1. अपीलार्थीगण रामरतन आदि की ओर से यह अपील विपक्षीगण राजेन्द्र प्रसाद आदि के विरूद्ध अन्तिम आज्ञप्ति वाद संख्या—214/1976 भभूती बनाम जगलाल आदि में अपर सिविल जज (सी.डि.), अम्बेडकरनगर द्वारा पारित अन्तिम आज्ञप्ति दिनांकित 20.09.2024 के विरूद्ध माननीय जनपद न्यायाधीश अम्बेडकरनगर के

समक्ष योजित की गयी है, जो अंगीकृत किये जाने के उपरान्त अंतरित होकर इस न्यायालय को विधि अनुसार निस्तारण हेतु प्राप्त हुई है।

2. मूलवाद संख्या–214/1976 भभूती बनाम जगलाल आदि की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी भभूती द्वारा प्रतिवादीगण जगलाल आदि के विरूद्ध दावा दखल जुदागाना जरिये बंटवारा का न्यायालय मुंसिफ अकबरपुर जनपद फैजाबाद के न्यायालय में संस्थित किया गया जो दिनांक 23.11.1977 को न्यायालय मुंसिफ अकबरपुर जनपद फैजाबाद द्वारा निर्णीत करते हुए वादी का वाद खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी भभूती की ओर से सिविल अपील संख्या–13/1978 भभूती बनाम जगलाल आदि दाखिल किया गया जो न्यायालय सिविल जज फैजाबाद के न्यायालय से दिनांक10.11.1978 को निर्णीत हुआ तथा मुंसिफ अकबरपुर के निर्णय को अपास्त करते हुए वादी का वाद विवादित सम्पत्ति में 1/4 भाग बंटवारे के संबंध में डिक्री करने का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय के अनुपालन में वादी द्वारा अन्तिम आज्ञप्ति वाद संख्या–214/1976 भभूती बनाम जगलाल आदि दाखिल किया गया जो दिनांक–20.09.2024 को अपर सिविल जज सी.डि.अम्बेडकरनगर द्वारा निर्णीत करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि Commission report 131C2 is partially accepted to the extent that the allotted 1/4 share of plaintiff Bhabhooti as shown in the report 131C2 is confirmed. Map appended with the report shall be part of the final decree. The suit for partition is finally decreed by metes and bounds (kurrabandi) for the plaintiff. Plaintiff's 1/4 share is separated from the property as proposed in the map 131 C 2/2. Report and map appended with 131 C2 shall remain part of final decree. Parties will bear their own cost. Let the final decree be prepared as per the law. File be consigned to record. उक्त निर्णय दिनांकित 20.09.2024 से क्षुब्ध होकर यह सिविल अपील अपीलार्थीगण द्वारा संस्थित किया गया है।

3. संक्षेप में अपील के कथन इस प्रकार है कि– वादी भभूती ने मूलवाद सं0–214/76 में पारित डिक्री दखल जुदागाना के विरूद्ध अंतिम आज्ञप्ति दिनांक 20.09.2024 के अंतर्गत अपीलार्थीगण ने भी अंतिम आज्ञप्ति के दौरान अपना अंश बांटकर अलग कर देने हेतु अपने प्रतिवादपत्र में याचना की थी और कोर्ट फीस भी जमा किया था परन्तु अपीलार्थीगण के अंशानुसार अंतिम आज्ञप्ति बनाते समय अवर न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वादी के ही अंशानुसार अंतिम आज्ञप्ति बना दिये जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत कर रहे है। मूलवाद संख्या–214/76 में अंशानुसार दखल जुदागाना जरिए बटवारा की मांग की गयी थी और अवर न्यायालय के द्वारा अंश निर्धारित हो गया। अपीलार्थीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र में ही अपना अंश बाटकर अलग कर देने को तदानुसार दखल प्राप्त करने की याचना की थी और सम्बन्धित न्याय शुल्क भी अदा कर दिया था। परन्तु अवर न्यायालय ने इस बात पर ध्यान न देकर केवल वादी के सन्दर्भ में ही अंतिम आज्ञप्ति पारित किया है। न्यायहित में तथा वादों के बहुलता से बचने के लिए अपीलार्थीगण के सन्दर्भ में उनके अंशानुसार अंतिम आज्ञप्ति बनाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि अपील स्वीकार की जावे और अपीलार्थीगण के अंशानुसार अंतिम आज्ञप्ति बनाये जाने का आदेश देने की कृपा करें।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सारगर्भित तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली मेरे समक्ष उपलब्ध है जिसका मेरे द्वारा सम्यक परिशीलन किया गया।

6. संक्षेप में अपीलार्थीगण का कथन है कि वादी भभूती ने मूलवाद सं0–214/76 में पारित डिक्री दखल जुदागाना के विरूद्ध अंतिम आज्ञप्ति दिनांक 20.09.2024 के अंतर्गत अपीलार्थीगण ने भी अंतिम आज्ञप्ति के दौरान अपना अंश बांटकर अलग कर देने हेतु अपने प्रतिवादपत्र में याचना की थी और कोर्ट फीस भी जमा किया था परन्तु अपीलार्थीगण के अंशानुसार अंतिम आज्ञप्ति बनाते समय अवर न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वादी के ही अंशानुसार अंतिम आज्ञप्ति बना दिये जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत कर रहे है। मूलवाद संख्या–214/76 में अंशानुसार दखल जुदागाना जरिए बटवारा की मांग की गयी थी और अवर न्यायालय के द्वारा अंश निर्धारित हो गया। अपीलार्थीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र में ही अपना अंश बाटकर अलग कर देने को तदानुसार दखल प्राप्त करने की याचना की थी और सम्बन्धित न्याय शुल्क भी अदा कर दिया था। परन्तु अवर न्यायालय ने इस बात पर ध्यान न देकर केवल वादी के सन्दर्भ में ही अंतिम आज्ञप्ति पारित किया है।

न्यायहित में तथा वादों के बहुलता से बचने के लिए अपीलार्थीगण के सन्दर्भ में उनके अंशानुसार अंतिम आज्ञप्ति बनाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि अपील स्वीकार की जावे और अपीलार्थीगण के अंशानुसार अंतिम आज्ञप्ति बनाये जाने का आदेश देने की कृपा करें।

विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया गया है कि 9.It is settled law that in a partition suit where both the parties want partition, a defendant may also be held to be a plaintiff as held by the Hon'ble Supreme Court in Satnam Singh and Ors Vs Surendra Kaur and Ors. Civil Appeal no-7008 of 2008 arising out of SLP(C)No-959 of 2008. It is also a settled law that more than one preliminary decree may be passed in a partition suit as held by the Hon'ble Supreme Court in Phoolchand and Anr vs Gopal Lal 1967 AIR 1470 1967 SCR (3) 153. However in the present case, the D1-D 4, have not preferred an appeal against the dismissal of the suit, and D 5-D 10 have contested the fact of jointness itself. They have remained in the position of defendants. Any change in the decree can not be made at this stage firstly, because the decree has been passed by appellate court after re-evaluation of evidence, secondly, because while evaluating the evidence the shares of each defendant have not been determined and thirdly, because the rights have matured with passage of time. The period of appeal has lapsed and the

defendants have not moved any application before the decreeing court for amendment to the decree. Mere payment of court fees does not entitle them to relief of partition as the decree, that has been passed by the appellate court has become final. In the present proceedings for drawing up of the final decree, the sole plaintiff has taken the steps for impleadment of more than 60 legal heirs and issuance of 6 commissions for spot inspection. The defendants' objections to the preliminary decree, passed by the appellate court, will be thus heard and decided qua their position as defendants and not as co-plaintiffs.इसप्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि –'' मुंसिफ अकबरपुर की माननीय अदालत ने इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया कि संयुक्त–स्वामित्व स्थापित नहीं किया जा सका, और यह कि विभाजन को अदालत द्वारा मान लिया गया है, क्योंकि पक्षकार अलग–अलग रह रहे थे। मुकदमे की संपत्ति में पक्षकारों का हिस्सा ट्रायल कोर्ट द्वारा तय नहीं किया गया था। मुकदमा पूरी तरह से इस अंतिम आदेश के साथ खारिज कर दिया गया कि ''वादी का मुकदमा खर्च सहित खारिज किया जाता है। 7. अपीलीय न्यायालय के दिनांक 10.11.1978 के निर्णय का सम्मानपूर्वक अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि इस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध एकमात्र वादी भभूति ने अपील दायर की थी। माननीय अपीलीय न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विवादित संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी और कथित पूर्व विभाजन सिद्ध नहीं हो सका। अतः विभाजन की प्रार्थना स्वीकार्य थी। माननीय अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय और आदेश पारित कियाः–

अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री रद्द की जाती है और वादी द्वारा रिकॉर्ड में मौजूद मानचित्र 11 C2 में दर्शाए गए संपत्ति के 1/4

हिस्से के विभाजन के लिए दायर किया गया मुकदमा स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रारंभिक डिक्री तैयार की जाए। मानचित्र 11 C2 डिक्री का हिस्सा होगा। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, दोनों पक्ष मुकदमे और अपील दोनों का खर्च स्वयं वहन करेंगे। उपरोक्त निर्णय और प्रारंभिक डिक्री के अनुसरण में ही इस न्यायालय के समक्ष अंतिम डिक्री की कार्यवाही चल रही है। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रतिवादी 1, 2, 3 और 4 ने मूलवाद में अपने हिस्से का सीमांकन करने की प्रार्थना की थी, उन्होंने वाद खारिज होने के विरुद्ध अपील नहीं की। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय केवल एकमात्र वादी भभूति द्वारा दायर अपील का परिणाम है और यह उनके पक्ष में दिया गया है। साथ ही, प्रतिवादीगण के किसी भी हिस्से का निर्णय अभी तक किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। 9. यह स्थापित कानून है कि विभाजन के मुकदमे में, जहाँ दोनों पक्ष विभाजन चाहते हैं, प्रतिवादी को भी वादी माना जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतनाम सिंह और अन्य बनाम सुरेंद्र कौर और अन्य (सिविल अपील संख्या 7008/2008, एसएलपी (सी) संख्या 959/2008 से उत्पन्न) मामले में कहा है। यह भी स्थापित कानून है कि विभाजन के मुकदमे में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फूलचंद और अन्य बनाम गोपाल लाल (1967 AIR 1470] 1967 SCR (3) 153) मामले में कहा है। हालांकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी–1–4 ने मुकदमे की खारिजा के खिलाफ अपील नहीं की है, और प्रतिवादी–5–10 ने संयुक्तता के तथ्य पर ही विवाद किया है। वे प्रतिवादी की स्थिति में बने रहे हैं। इस स्तर पर निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, पहला कारण यह है कि अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद निर्णय पारित किया है, दूसरा कारण यह है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक प्रतिवादी के हिस्से का निर्धारण नहीं किया गया है, और तीसरा कारण यह है कि समय बीतने के साथ अधिकार परिपक्व हो चुके हैं। अपील की अवधि समाप्त हो चुकी है और प्रतिवादीगण ने डिक्री में संशोधन के लिए निर्णय देने वाले न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन नहीं दिया है। केवल न्यायालय शुल्क का भुगतान करने से उन्हें विभाजन का अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अंतिम हो चुकी है। अंतिम डिक्री तैयार करने की वर्तमान कार्यवाही में, एकमात्र वादी ने 60 से अधिक कानूनी वारिसों को पक्षकार बनाने और मौके पर निरीक्षण के लिए 6 कमीशन रिर्पोटो के जारी करने के लिए कदम उठाए हैं। इसलिए, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री पर प्रतिवादियों की आपत्तियों पर उनकी प्रतिवादी के रूप में स्थिति के आधार पर सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा, न कि सह–वादी के रूप में।''इसप्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रस्तुत अपीलार्थीगण ने अंतिम

आज्ञप्ति दिनांक 20.09.2024 के अंतर्गत अपीलार्थीगण ने भी अंतिम आज्ञप्ति के दौरान अपना अंश बांटकर अलग कर देने हेतु अपने प्रतिवादपत्र में याचना की थी और कोर्ट फीस भी जमा किया था परन्तु विद्वान अवर न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने वाद खारिज होने के विरुद्ध अपील नहीं की। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय केवल एकमात्र वादी भभूति द्वारा दायर अपील का परिणाम है और यह उनके पक्ष में दिया गया है। साथ ही, प्रतिवादीगण के किसी भी हिस्से का निर्णय अभी तक किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

इसप्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत निर्णय/आदेश में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रस्तुत अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने वाद खारिजा के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की गयी और अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के हिस्से का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थीगण का अंश अलग करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के पश्चात न्यायालय का यह मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत अन्तिम आज्ञप्ति दिनांकित 20.09.2024 को पारित करने में कोई तथ्यात्मक एवं वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है, बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के सम्यक परिशीलन व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अवलोकन उपरांत विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रस्तुत अपील में कोई तात्विक बल होना नहीं पाया जाता है। तद्नुसार प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थीगण रामरतन आदि द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील– 47/2024, कम्प्यूटर नम्बर–46/2024 रामरतन आदि बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि निरस्त की जाती है।

पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे।

इस निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर रखी जाय। तदोपरान्त विचारण न्यायालय की पत्रावली नियमानुसार विचारण न्यायालय को प्रेषित हो।

(राम विलास सिंह)
अपर जिला जज,प्रथम
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी.–6067

दिनांकः–31.03.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(राम विलास सिंह)
अपर जिला जज, प्रथम
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी.–6067

दिनांकः–31.03.2026